न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना--पत्र संख्या 48/2010

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 03/05/2010

निर्णय दिनांक : 22/10/2019

सहाबुद्दीन शेख पुत्र सुलेमान शेख, जाति मुसलमान, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

-बनाम-

1. नाथू पुत्र हरदेव, जाति धोबी, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 125, 136 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थिति – श्री ओमप्रकाश शर्मा
श्री प्रमोद कुमार जैन
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 125, 136 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 879/5 रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके ग्राम मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जो कि विगत सैटलमेन्ट पूर्व से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही हैं उक्त आराजी खसरा नम्बर 879/5 साबिक खसरा नम्बर है, जिसके हाल सैटलमेन्ट ने 1037 दर्ज कर दिये गये, जबकि पूर्व साबिक खसरा नम्बर 879/5 का हाल नम्बर 1036 के स्थान पर ही प्रार्थी कदीमी रूप से काबिज काश्त चला आ रहा हैं। इस प्रकार से एक तरफ तो खसरा नम्बर 1037 का गलत अंकन करते हुये खसरा नम्बर 1036 को अप्रार्थी के हक में दर्ज कर दिया गया, जबकि खसरा नम्बर 1036 पर प्रार्थी काबिज काश्त है तदनुसार ही अप्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

हक में खसरा नम्बर 1036 की तरमीम भी कर दी गयी हैं जो गलत रूप से की गयी तरमीम है जो दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने वरवक्त सैटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 1036 प्रार्थी के गलत दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का खसरा नम्बर 1036 दर्ज किया जाना चाहिये था तथा इस प्रकार तरमीम भी सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा गलत दर्ज कर दी गयी है, जैसा कि मौके की वास्तविक स्थिति से स्पष्ट है तथा राजस्व रिकार्ड से भी उक्त प्रकार की गलती स्पष्ट है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। हाल ही में दिनांक 11/04/2010 को प्रार्थी अपनी भूमि के चारों और ट्रैक्टर लेकर डोल लगाने गया तो अप्रार्थी ने गलत इन्द्राज के आधार पर डोल लगाने से मना कर दिया, इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती के प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये अन्त में अनुतोष चाहा कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खातेदारी खसरा नम्बर 1037 के स्थान पर 1036 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें व तरमीम को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। दिनांक 21/06/2010 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 26/06/2012 को प्रार्थी की ओर से गवाह पी.डब्लयू 1 सहाबुद्दीन, पी.डब्ल्यू 2 हीरालाल, पी.डब्ल्यू 3 बालमुकन्द के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। विद्वान अधिवक्ता ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल भू प्रबन्ध विभाग, नकल नक्शा ट्रेस साबिक व हाल तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 खाता संख्या 253 दिनांक 07/08/2010, नक्शा ट्रेस साबिक, मिलान क्षैत्रफल, पासबुक मय नक्शा, गिरदावरी, जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

2052 से 2055, हाल नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान प्रार्थना–पत्र, रकम चालान, प्रार्थना–पत्र तहसीलदार मौजमाबाद, आवंटन–पत्र मय रिपोर्ट, लगान रसीद आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल खसरा नम्बर 1037 जिसके साबिक खसरा नम्बर 879/5 है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है एवं हाल खसरा नम्बर 1036 जिसके साबिक खसरा नम्बर 879/2 है, जो प्रार्थी की खातेदारी में हैं। अवलोकन से यह पाया जाता है कि पक्षकारान को जिस जगह वरवक्त आवंटन कब्जा सभलाया गया था, उसी जगह ही तरमीम हो रखी हैं किसी प्रकार से कोई भिन्न तरमीम नही हो रखी हैं, जो तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट से भी साबित है, इसलिये प्रार्थी अपने उक्त प्रार्थना–पत्र को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही कर पाया हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 1036 व 1037 वाके ग्राम मरवा, तहसील दूदू के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner